कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या 393 /एल0बी0ए0–2023 दिनांक 28 अगस्त, 2023

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–213/2023 Palla & Ors. Vs. State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन के संबंध में।

Shri. Rahul Verma
Advocate (L.L.M.)
Supreme Court Of India
Additional Advocate General
State Of Uttarakhand
137, Tower No. 10,
Supreme Enclave, Mayur Vihar Phase-1,
Delhi-110091
Mobile No. 9717706032

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के कार्यालय पत्रांक–यूकेपीसीबी0/एच0ओ0/सा0–183–686/2023/591 दिनांक 05.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उल्लिखित हैं कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–213/2023 Palla & Ors. Vs. State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के अनुपालन के संबंध में हैं। प्रकरण नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा सोनाली नदी के किनारे कूड़ा निस्तारण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन के संबंध में मा0 एन0जी0टी द्वारा अन्य निर्देशों के साथ–साथ निर्देशित किया गया हैं कि:–

4. The land has not been allocated till dated according to rules. Thus, the collector is directed to ensure allocation of the land and ensure the compliance of solid waste management and handling rules, 2016 and submit the action taken report within three weeks e-mail at judicial-ngt@gov.in in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of image PDF. for this purpose Secretary, ud(Uttarakhand) will interact with nagar panchayat bhagwanpur and provide current factual status on waste generation, waste processed, the gap existing and setting up of processing facilities. similarly quantification of legacy waste accumulated on the bank of river sonali and its remediation will also be provided in the report ud, secretary may involve state pcb or other agency for necessary support/assistance.

इस संबंध में उप जिलाधिकारी, भगवानपुर को नियमानुसार जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उप जिलाधिकारी, भगवानपुर के कार्यालय पत्र संख्या–4112/एस0टी0–उ0जि0म0(भग0)–2023 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी हैं, जो संलग्न हैं।

अतः उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की जांच आख्या पत्र दिनांक 25.08.2023 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न–यथोक्त।

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– उप सचिव, शहरी विकास अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
4– जिलाधिकारी महोदय की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

28/08/23

कार्यालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट, भगवानपुर, जिला हरिद्वार। 4 8393 | Pa

संख्याः- 4112/एस0डी0-उ0जि0म0(भग0)-2023 दिनांक 25 अगस्त,2023

विशयः- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–213/2023Palla & Ors Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में। ADM|oc|LBA

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

DM(H) 25/8/2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन" देहरादून के पत्रांकःयूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-686/2023/591 दिनांक 05.08.2023 पर पारित अपने पृष्ठांकन आदेश संख्या-304/एल0बी0ए0 दिनांक 16.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0-213/2023Palla & Ors Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के अनुपालन में नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा सोनाली नदी के किनारे कूड़ा निस्तारण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम,2016 के अनुपालन के संबंध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अन्य निर्देशों के अतिरिक्त क्रमांक 04 में दिए गए निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रस्तुत संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रकरण में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर द्वारा अपने पत्रांक 300/न0पं0भ0/2023 दिनांक 25.08.2023 द्वारा आख्या प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वारा द्वारा पूर्व में नगर पंचायत की भूमि के खसरा सं0 544 जो कि सोनाली नदी के समीप स्थित है, पर जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों(कूड़े) का निस्तारण किया जा रहा था, परन्तु सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा नगर पंचायत भगवानपुर, जिला हरिद्वार को सोलानी नदी के किनारे नगर पंचायत की भूमि पर ठोस अपशिष्ट पदार्थों(कूड़े) का निस्तारण तत्काल प्रभाव से बन्द करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में नगर पंचायत, भगवानपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से उक्त भूमि पर कूड़े का निस्तारण को बन्द कर दिया है। नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु उपयुक्त भूमि के चिन्हीकरण/व्यवस्था करने हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

यह भी अवगत कराना है कि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत नदी-नाले अधिक होने के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 के अनुकूल भूमि चयन में कठिनाई हो रही है। कूड़ा निस्तारण हेतु प्राईवेट/निजी उपयुक्त भूमि के चिन्हीकरण/व्यवस्था होने पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 के अनुकूल ठोस अपशिष्ट पदार्थों(कूड़े) का निस्तारण का स्थायी समाधान कर लिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर के पत्रांक 300/न0पं0भ0/2023 दिनांक 25.08.2023 की छायाप्रति संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः-यथौक्त।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
उप जिलाधिकारी/
उप जिला मजिस्ट्रेट,
भगवानपुर।

कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर, जिला–हरिद्वार

पत्रांक– 300 / न0पं0भ0 / 2023–24 दिनांक :– 25.

सेवा में

उपजिलाधिकारी महोदय,
भगवानपुर जिला हरिद्वार।

विषय :– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–213 / 2023 पाला एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून कार्यालयपत्रांक–यूकेपीसीबी / एच0ओ / सा0–183–826 / 2023 / 591 दिनांक 05.08.2023 जो कि जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में आपके द्वारा नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार को तत्काल आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि नगर पंचायत भगवानुपर, जिला–हरिद्वार द्वारा पूर्व में नगर पंचायत की भूमि के खसरा नं0–544 जो कि सोलानी नदी के समीप स्थित है, पर जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों (कूड़े) का निस्तारण किया जा रहा था, परन्तु सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा नगर पंचायत भगवानपुर, जिला–हरिद्वार को सोलानी नदी के किनारे नगर पंचायत की भूमि पर ठोस अपशिष्ट पदार्थो (कूड़े) का निस्तारण तत्काल प्रभाव से बन्द करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से उक्त भूमि पर कूड़े के निस्तारण को बन्द कर दिया गया है।

तद्उपरान्त नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा तत्काल अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत एक प्राईवेट भू–स्वामी के भूखण्ड जो कि शाहपुर मुस्तहकम में स्थित है, को किराये पर लिया गया है, जिसमें जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों (कूड़े) का निस्तारण किया जा रहा है। तथा सोलानी नदी के किनारे एकत्रित किये गये जनित ठोस अपशिष्ट प्रदार्थों (कूड़े) की रोकथाम हेतु बाउण्ड्री वाल का निर्माण कराये जाने हेतु आंगणन रूपये 14.24 लाख तैयार कर दिया गया है, जिसकी निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही गतिमान है।

यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में नगर पंचायत भगवानपुर को नगर निगम, रूड़की के क्लस्टर में रखा गया था, परन्तु नगर निगम, रूड़की के द्वारा नगर पंचायत भगवानपुर को अपने कूड़े निस्तारण प्लांट पर कूड़े के निस्तारण करने से मना कर दिया गया था, जिस कारण नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि पर कूड़े का निस्तारण किया जा रहा था। नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा कूड़ा निस्तारण प्लान्ट हेतु भूमि की स्थायी व्यवस्था होने तक की अवधि के लिए नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार के दैनिक ठोस अपशिष्ट कूड़े को नगर पंचायत ईमलीखेड़ा जिला–हरिद्वार के कूड़ा निस्तारण प्लान्ट में डलवाने जाने के संबंध में सहमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि नगर पंचायत भगवानपुर जिला–हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत नदी–नाले अधिक है, जिस कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली–2016 के अनुकूल भूमि चयन में कठिनाई हो रही है। नगर पंचायत भगवानपुर जिला–हरिद्वार द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु प्राईवेट भूमि के चयन के प्रयास किये जा रहे हैं। उपयुक्त भूमि के चिन्हींकरण / व्यवस्था होने पर प्रकरण का स्थायी समाधान कर दिया जायेगा।

अतः महोदय उपरोक्तानुसार आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर
जिला–हरिद्वार

कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर, जिला–हरिद्वार।

दिनांक :– 25.08.2023

पत्रांकः– 299 / न0पं0भ0 / 2023–24

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत इमलीखेड़ा
जिला हरिद्वार।

विषय :– नगर पंचायत भगवानपुर के ठोस अपशिष्ट कूड़े को नगर पचांयत इमलीखेड़ा के कूड़ा निस्तारण स्थल पर डलवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि नगर पंचायत भगवानुपर, जिला–हरिद्वार द्वारा पूर्व में नगर पंचायत की भूमि के खसरा नं0–544 जो कि सोलानी नदी के समीप स्थित है, पर जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों (कूड़े) का निस्तारण किया जा रहा था, परन्तु सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा नगर पंचायत भगवानपुर, जिला–हरिद्वार को सोलानी नदी के किनारे नगर पंचायत की भूमि पर ठोस अपशिष्ट पदार्थो (कूड़े) का निस्तारण तत्काल प्रभाव से बन्द करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से उक्त भूमि पर कूड़े के निस्तारण को बन्द कर दिया गया है।

वर्तमान में नगर पंचायत भगवानपुर, जिला हरिद्वार के स्वामित्व की कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण कूड़े के निस्तारण करने में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसलिए नगर पंचायत भगवानपुर जिला–हरिद्वार अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने निकाय के दैनिक कूड़े का निस्तारण नगर पंचायत ईमलीखेड़ा जिला–हरिद्वार के कूड़ा निस्तारण प्लान्ट में करने का इच्छुक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया नगर पंचायत भगवानपुर के कूड़ा निस्तारण केन्द्र हेतु भूमि की स्थायी व्यवस्था होने तक की अवधि के लिए नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार के दैनिक ठोस अपशिष्ट कूड़े को नगर पंचायत ईमलीखेड़ा जिला–हरिद्वार के कूड़ा निस्तारण प्लान्ट में डलवाने जाने की सहमति यथाशीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर
जिला–हरिद्वार

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–686 / 2023 / 591 ,   दिनांक 05.08.2023

स्पीड पोस्ट

U84/ERK   OC/LBA

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,
जिलाधिकारी
हरिद्वार।

11/08/2023

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–213 / 2023 **Palla & Ors. Vs State of Uttarakhand** में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–213 / 2023 Palla & Ors. Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा सोनाली नदी के किनारे कूड़ा निस्तारण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अन्य निर्देशों के साथ–साथ निर्देशित किया गया है कि:–

84/LBA
DM(BH)
ROPCB(R)

4. The land has not been allocated till dated according to the rules. Thus, the collector is directed to ensure allocation of the land and ensure the compliance of Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2016 and submit the action taken report within three weeks e-mail at [judicial-ngt@gov.in] preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF. For this purpose Secretary, UD(Uttarakhand) will interact with Nagar Panchayat Bhagwanpur and provide current factual status on waste generation, waste processed, the gap existing and setting up of processing facilities. Similarly, quantification of legacy waste accumulated on the bank of River Solani and its remediation will also be provided in the report. UD, Secretary may involve State PCB or other agency for necessary support/assistance.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है।

ADM(E) ...08/2023

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(एस0 के0 पटनायक)
सदस्य सचिव

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–686 / 2023 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की जिला हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिलाधिकारी, हरिद्वार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

सदस्य सचिव

S.T.

SDM
(BH)
13-08-2023

68098385Ym
23.8.23

No - 3755 / ER-K.

कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर, जिला–हरिद्वार।

पत्रांकः– 295 / न0पं0भ0– / 2023–24 दिनांक :– 19.08.2023

OCISA / CBA

सेवा में,

अपर निदेशक महोदय,
शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड
31 / 62 राजपुर रोड़, देहरादून।

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
हरिद्वार
24.8.23

विषय :– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–213 / 2023 पाला एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शहरी विकास निदेशालय के कार्यालय पत्रांक–File No-050105-5SBM/L/12023- SBM-Urban Devlop Directorate (Computer No-12044) I/15407/2023 दिनांक 16.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–213 / 2023 Palla & Ors. Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 का अनुपालन किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की विस्तृत / अद्यतन आख्या शासन / निदेशालय व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून कार्यालय के पत्रांक–यूकेपीसीबी / एचओ / सा0–183– 628 / 2023 / 473 दिनांक 10–07–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत भगवानुपर द्वारा पंचायत क्षेत्र में जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों (कूड़े) का निस्तारण सोलानी नदी के किनारे किये जाने के संबंधी शिकायत मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन होने तथा संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 08.06.2023 को विषयगत क्षेत्र का निरीक्षण कर नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा नगर क्षेत्र में जनित ठोस अपशिष्ट (कूड़े) को सोलानी नदी के किनारे निस्तारण किये जाने, सोलानी नदी के किनारे ठोस अपशिष्ट पदार्थो (कूड़े) का निस्तारण तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने, जनित कूड़े का नियमानुसार एकत्रण, पृथ्थकरण, प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुनिश्चित किये जाने, किसी भी दशा में एकत्रित कूड़े को सोलानी नदी के किनारे निस्तारित न किये जाने तथा सोलानी नदी के किनारे एकत्रित कूड़े को तत्काल हटाये हेतु निर्देशित किया गया है।

P.TO-

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि नगर पंचायत भगवानुपर, जिला–हरिद्वार द्वारा नगर पंचायत की भूमि जिसका खसरा नं0–544 है, जो कि सोलानी नदी के समीप स्थित है, पर नगर पंचायत द्वारा पूर्व से जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों (कूड़े) का निस्तारण किया जा रहा था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में नगर पंचायत भगवानपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा सोलानी नदी के किनारे नगर पंचायत की भूमि पर ठोस अपशिष्ट पदार्थो (कूड़े) का निस्तारण करना तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया है। वर्तमान में नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा शाहपुर मुस्तहकम में आबादी से दूरस्थ एक प्राईवेट भू–स्वामी के किराये पर लिये गये भूखण्ड पर जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों (कूड़े) का निस्तारण किया जा रहा है तथा सोलानी नदी के किनारे एकत्रित किये गये जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों (कूड़े) की रोकथाम हेतु बाउण्ड्री वाल का निर्माण कराये जाने हेतु आंगणन रूपये 14.24 लाख तैयार कर दिया गया है, जिसकी निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही गतिमान है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा और एकत्रित किये गये जनित ठोस अपशिष्ट पदार्थों (कूड़े) को हटाये जाने की कार्यवाही नगर पंचायत द्वारा यथाशीघ्र करा दी जायेगी।

अतः महोदय उपरोक्तानुसार विस्तृत/अद्यतन अनुपालन आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :– आंगणन की छायाप्रति।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर
जिला–हरिद्वार

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विशेषज्ञ, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4– उपजिलाधिकारी भगवानपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5– श्री राहुल वर्मा, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड राज्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भगवानपुर
जिला–हरिद्वार।

नगर पंचायत भगवानपुर

जनपद – हरिद्वार

उत्तराखण्ड

कार्य का नाम :–नगर पंचायत भगवानपुर के ट्रेचिंग ग्राउण्ड की टीन शेड की दीवार का कार्य।

योजना :– राज्य वित्त

नगर पंचायत :– भगवानपुर

अनुमानित लागत :– **Rs 14.24 lakh**

(2023–2024)

Detail of Measurements

…का नाम :–नगर पंचायत भगवानपुर के ट्रेंचिंग ग्राउण्ड की टीन शेड की दीवार का कार्य।

o	Item Description	NO.	L	B	D/H	Qty	
	Earth work in excavation by mechanical means / manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting --- DSR---- 2.8.1						
		200	0.60	0.60	0.90	64.80	
				TOTAL		64.80	cum
	P&L in position C.C. of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level : 1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size) DSR 4.1.8						
		200	0.60	0.60	0.10	7.20	
				TOTAL		7.20	cum
	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level :1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size) Dsr----5.1.2						
		200	0.50	0.50	0.75	37.50	
				TOTAL		37.50	cum
4	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting,fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete: 10.25.2						
	L+S					1300.00	
				TOTAL		1300.00	Kg
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete (up to any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces), excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required. 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m²----Dsr----12.1.3						
		1	450.00		2.00	900.00	
				TOTAL		900.00	Sqm.
6	Supply & Fixing of M.S. Sign Board (1200 mm x 900 mm inner dia)						
						1.00	
				TOTAL		1.00	No.

J.E. A.E. E.O.

BILL OF QUANTITIES

कार्य का नाम :—नगर पंचायत भगवानपुर के ट्रेचिंग ग्राउण्ड की टीन शेड की दीवार का कार्य।

Sl. No.	Particulars of Work	Qty.	Unit	Rate per unit (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1	Earth work in excavation by mechanical means / manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting ----DSR---2.8.1	64.80	cu. m.	252.30	16349.04
2	P&L in position C.C. of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level : 1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size) DSR 4.1.8	7.20	cu. m.	5789.60	41685.12
3	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level :1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size) Dsr----5.1.2	37.50	cu. m.	7718.25	289434.38
4	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting,fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete: 10.25.2	1300.00	#REF!	131.00	170300.00
5	Providing corrugated G.S. sheet roofing including vertical / curved surface fixed with polymer coated J or L hooks, bolts and nuts 8 mm diameter with bitumen and G.I. limpet washers or with G.I. limpet washers filled with white lead, including a coat of approved steel primer and two coats of approved paint on overlapping of sheets complete (up to any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces), excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required. 0.63 mm thick with zinc coating not less than 275 gm/ m²----Dsr-----12.1.3	900.00	sqm	915.00	823500.00
6	Supply & Fixing of M.S. Sign Board (1200 mm x 900 mm inner dia)	1.00	No.	2000.00	2000.00
				Total (in Rs.)	**1343268.54**

J.E. A.E. E.O.

SUMMARY OF ESTIMATED COST

कार्य का नाम :—नगर पंचायत भगवानपुर के ट्रेचिंग ग्राउण्ड की टीन शेड की दीवार का कार्य।

Sl. No.	Sub - Head	Amount
1	Estimated Cost (As per Bill of Quantities)	1343268.54
2	Add 1.06 For Factore	80596.11
	Total Amount	**1423864.65**
	Say	**Rs 14.24 lakh**

J.E. A.E. E.O.